ए.

तमिलनाडु और ए. एन. आर. की सरकार। ईटीसी। ईटीसी. वी.

तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल और ओआरएस। ईटीसी। ईटीसी।

(सिविल अपील सं.10563-10569 2017 का) 11 अप्रैल, 2023

बी.

[अजय रस्तोगी और बेला एम**.** त्रिवेदी**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-पदों के सृजन के लिए निर्देश-की अनिवार्यता-आयोजितःअदालतें पदों के सृजन के लिए निर्देश नहीं दे सकतीं-वर्तमान मामले में, प्रतिवादी सरकार के रोजगार में या सिविल पद पर नहीं थे या किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कैडर पद के खिलाफ नियुक्त नहीं थे, जहां सेवा की शर्तें अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा शासित/विनियमित हैं-स्वीकृत पद के अभाव में, राज्य को पद बनाने और उन व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो राज्य की सेवा में बने हुए हैं-इसलिए, उच्च न्यायालय का पदों को बनाने और उनकी योग्यता के आधार पर प्रतिवादियों को शामिल करने का विवादित निर्देश कानून में टिकाऊ नहीं है-विवादित निर्णय अपास्त करना दिया गया-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005-भारत का संविधान-अनुच्छेद 309।

सी.

डी.

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने अपने विवादित फैसलों में इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें **8** नवंबर**, 2011** के आदेश को पारित करके बंद कर दिया गया था**,** वे न केवल बहाली के हकदार हैं**,** बल्कि पद के निर्माण के बाद सेवा में नियमित होने के भी हकदार हैं।उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जो अवलोकन किया जा रहा है वह कानून में कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।प्रत्यर्थी सरकार के रोजगार में या सिविल पद पर नहीं थे और किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कैडर पद के खिलाफ नियुक्त नहीं थे**,** जहां सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद **309** के परंतुक के तहत बनाए गए वैधानिक

नियमों द्वारा शासित/विनियमित होती हैं।वास्तव में, उत्तरदाता एक योजना में लगे हुए थे और उन्हें मानदेय दिया गया था और इस न्यायालय को यह औचित्य नहीं मिलता है कि जब तक योजना ए में जारी है।

एफ.

जी.

एच.

390

391

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल ए

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, **2005** के अधिदेश के तहत तमिलनाडु राज्य में कम से कम ऐसे व्यक्तियों को बंद करने का कोई कारण नहीं दिखता है जो अधिनियम, **2005** के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई संबंधित योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं, जब तक कि बाद में सेवा में प्रतिधारण के लिए अनुपयुक्त नहीं पाए जाते हैं या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं।**[**ऐसे कर्मचारी बहाली और सेवा के नियमितीकरण के लिए इस कारण से हकदार नहीं हैं कि यदि **8** नवंबर, **2011** को पारित आदेश टिकाऊ नहीं है, तो उत्तरदाताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उन्हीं शर्तों पर बहाल किया जा सकता है जो उन्हें **8** नवंबर, **2011** के आदेश को पारित करने से पहले रखी गई थीं।दूसरे शब्दों में, चूंकि उनकी नियुक्ति दिनांक **21** मई, **2010** के आदेश द्वारा **1** जून, **2010** से **31** मई, **2012** तक दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी, ऐसे व्यक्तियों को **31** मई, **2012** तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती थी।आगे कोई विस्तार दिए जाने के अभाव में, कम से कम योजना के तहत आगे जारी रखने की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार निहित नहीं था।स्वीकृत पद के अभाव में, राज्य को पद बनाने और राज्य की सेवा में बने रहने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।पदों को सृजित करने और उत्तरदाताओं को उनकी योग्यता के आधार पर शामिल करने के बाद उच्च न्यायालय का पुनर्स्थापित करने का निर्देश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकृत होने योग्य है।**[**पारस **51,54** और **57] [408-**ए**-**सी**; 409-**डी**; 410-**डी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

1.3 यह औचित्य प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा **7** जून**, 2022** की अपनी वर्तमान नीति के तहत फिर से नियुक्त नहीं किया गया है**,** वे **1** दिसंबर**, 2011** से **31** मई**, 2012** तक की अवधि के लिए अपने मानदेय के हकदार हैं**,** यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी जो सरकार द्वारा **7** जून**, 2022** को शुरू की गई योजना के अनुसार शामिल नहीं हुए हैं**,** वे हमेशा **6** महीने की अवधि के लिए अपना मानदेय स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं**,** लेकिन क्योंकि सरकार ने पहले ही उन्हें मानदेय की पेशकश की है**,** वे उक्त मूल राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं।इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि एम**.** एन**.** पी**. (**मक्कल नाला पनियालार्गल**/**ग्राम स्तर के श्रमिकों**)** के मानदेय के अनुसार कुल राशि उस पर निर्धारित की जाती है।

एफ.

जी.

एच.

समय आता है **Rs.25,851/- (1** दिसंबर**, 2011** से **31** मई**, 2012)**।यदि कोई आवेदन दायर किया जाता है**,** तो राज्य सरकार कम से कम व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेज सकती है।यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम**, 2005** के उद्देश्य की पूर्ति में सरकार द्वारा दिनांक **7** जून**, 2022** को शुरू की गई योजना के अनुसार शामिल हुए हैं**,** वे योजना के साथ सह**-**समाप्त रहेंगे और जब तक योजना लागू है तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी।साथ ही**,** ऐसे व्यक्ति जो **7** जून**, 2022** की योजना के अनुसार शामिल नहीं हुए हैं**,** वे **1** दिसंबर**, 2011** से **31** मई**, 2012** तक **6** महीने की मध्यवर्ती अवधि के लिए एमएनपी में **Rs.25,851/-** की मूल राशि का भुगतान स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह का आवेदन दायर किए जाने पर**,** अपीलार्थियों तीन महीने के भीतर उचित सत्यापन के बाद आरटीजीएस या किसी अन्य माध्यम से ऐसे एमएनपी को पैसा देंगे।विवादित फैसले को अपास्त करना दिया जाता है।**[**पारस **59,60** और **62] [411-**सी**-**जी**; 412-**ए**]**

बी.

सी.

मालथी दास (सेवानिवृत्त) अब पी. बी. महिशी और अन्य

डी.

बनाम सुरेश और अन्य (2014) 13 एस. सी. सी. 249:[2014] 3 एससीआर 637-प्रतिष्ठित।

निहाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य

(2013) 14 एससीसी **65:[2013] 11** एस**.** सी**.** आर**. 1-**लागू नहीं होता।

ई.

संभागीय प्रबंधक अरावली गोल्फ क्लब और एक अन्य बनाम।

चंदर हास एंड अदर (2008) 1 एस. सी. सी. 683:[2007]

12 एस**.** सी**.** आर**. 1084;** महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम कैस्टरिबे राज्य परिवहन कर्मचारी संगठन **(2009) 8** एस**.** सी**.** सी**. 556**

एफ.

:[2009] 13 एस**.** सी**.** आर**. 937-**पर निर्भर।

गुजरात राज्य और अन्य बनाम आर**.** जे**.** पठान और अन्य **(2022) 5** एस**.** सी**.** सी**. 394;** सचिव**,** कर्नाटक राज्य और अन्य बनाम उमादेवी **(3)** और अन्य **(2006) 4** एस**.** सी**.** सी**. 1:**

[2006] 3 एस**.** सी**.** आर**. 953-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

जी.

[2006] 3 एससीआर **953**

संदर्भित किया गया है

पैरा **24**

[2013] 11 एससीआर **1**

लागू नहीं होने वाला पैरा **24** ए

एच.

393

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल ए

[2014] 3 एससीआर **637**

प्रतिष्ठित

पैरा **24**

[2007] 12 एससीआर **1084**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **47**

[2009] 13 एससीआर **937**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **48**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2017 की सिविल अपील सं. 10563-10569।

बी.

2013 के डब्ल्यू. पी. सं. 18163,2014 के 18048,2012 के डब्ल्यू. ए. सं. 696,2012 के डब्ल्यू. पी. <आई. डी. 1,2012 के डब्ल्यू. ए. <आई. डी. 2 और 2012 के डब्ल्यू. पी. सं. 11936 और 22969 में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 3 के निर्णय और आदेश से।

सी.

के साथ

2017 की सिविल अपील No.10570।

जयदीप गुप्ता, वी. कृष्णमूर्ति, वरिष्ठ अधिवक्तागण , डी. कुमानन, शेख एफ. कालिया, सुश्री दिव्या सिंह, विनोद कन्ना बी., अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।पी विल्सन, सीनियर एड., सुरेशन पी., दीपक जोशी, भूपेंद्र सिंह, जोसेफ सेबेस्टियन, आर. नेदुमारन, अपूर्व मल्होत्रा, सुश्री सपना पिल्लई, सुश्री ऐश्वर्या मिश्रा, सुश्री अरुणिमा द्विवेदी, पी. सी. चंद्रशेखर, सुश्री पिंकी पवार, आकाश पाठक, नरेश कुमार, एस. नंदकुमार, सुश्री दीपिका नंदकुमार, आनंद मूर्ति राव, राजीव गुप्ता, मोहम्मद।निजामुद्दीन पाशा, शिवेंद्र पांडे, लज़ाफीर अहमद, ए. राजा राजन, सुभम कोठारी, प्रशांत पद्मनाभन, पदम प्रिया, अखिलेश्वर झा, सुश्री काजल कुमारी, राजा सनूर पी., के. एस. सेलवन, के. परी वेंधन, सुश्री हरिप्रिया पद्मनाभन, रघुनाथ सेतुपति बी., सुश्री प्रिया आर., सुश्री इशिता चौधरी, सुश्री परीक्षा, एस. सबरी बाला पांडियन, अविनाश कुमार, अधिवक्तागण उत्तरदाताओं के लिए।

डी.

ई.

एफ.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

रास्टोगी, जे।

1. तत्काल अपीलों को तमिलनाडु राज्य के 19 अगस्त, 2014 के उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित फैसले और आदेश पर हमला करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में 23 जनवरी, 2012 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार को "ग्राम स्तर के कार्यकर्ता" पदनाम के तहत पद बनाने का निर्देश दिया गया है जिसे "मक्कल नाला पनियालार्गल" (इसके बाद "एमएनपी" के रूप में संदर्भित विद्वान जा रहा है) या किसी अन्य नाम से कहा जाता है, लेकिन उन व्यक्तियों को समायोजित करेगा जो 19 अगस्त, 2014 की तारीख को एमएनपी के रोल पर थे।

जी.

एच.

394

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

तमिलनाडु राज्य भर में राज्य सरकार के स्कूलों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, निगमों, कलेक्टर कार्यालय, ग्राम कार्यालयों या किसी भी अन्य सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों में किसी भी खाली पद के खिलाफ 8 नवंबर, 2011 को जी. ओ. एम. संख्या 86 जारी करना, प्रत्येक उम्मीदवार के पास अपनी योग्यता के अनुसार, उनके मूल, तालुक या राजस्व जिले में उम्र के संदर्भ के बिना।यह भी निर्देश दिया गया कि यदि एम. एन. पी. में से कोई एक व्यक्ति जिसे समायोजित नहीं किया जा सकता है या अपात्र है, तो राज्य सरकार 1 दिसंबर, 2011 से 31 मई, 2012 तक की अवधि के लिए अंतिम वेतन का भुगतान करेगी।

बी.

2. रिकॉर्ड से लिए गए और वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि तमिलनाडु सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 2 सितंबर, 1989 को बजट भाषण में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की, जिन्होंने ग्राम पंचायत में काम की विभिन्न वस्तुओं के लिए 10 वीं कक्षा पूरी कर ली है, जिसे बेरोजगार युवाओं को सौंपा जा सकता है और इस योजना को ग्राम स्तर पर लागू करने और कम से कम दो ग्राम स्तर के श्रमिकों-एक पुरुष और एक महिला-को शामिल करने का निर्णय लिया, जिन्हें राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा।इस प्रकार, राज्य भर में कुल 25,234 श्रमिकों को Rs.200 के मासिक मानदेय पर लगाया जाना था-और इसने पुरुष और महिला श्रमिकों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी।सरकार ने स्थानीय क्षेत्र में लागू करने के लिए एक तंत्र भी

अपनाया है जहां ग्राम पंचायत स्तर पर पुरुष/महिला श्रमिकों की नियुक्ति की जानी है ताकि बेरोजगार शिक्षित युवाओं की नियुक्ति करते समय पारदर्शिता रखी जा सके।

सी.

डी.

ई.

3. यह अभिलेख से प्रकट होता है कि व्यक्तियों को 2 सितंबर, 1989 की अपनी नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत नियुक्त किया गया था।बाद में, सरकार द्वारा 13 जुलाई, 1991 के आदेश द्वारा इस आधार पर योजना को भंग कर दिया गया कि एमएनपी की नियुक्तियां ग्राम स्तर पर कार्यक्रमों के निष्पादन के लिए किसी भी तरह से सहायक नहीं हैं, सिवाय इसके कि सरकार पर प्रति वर्ष 6 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होता है और ब्लॉक स्तर पर विस्तार अधिकारियों के माध्यम से संबंधित विभिन्न विकास गतिविधियों के निष्पादन को छोड़ दिया गया है।

एफ.

जी.

4. इसके परिणामस्वरूप, वे व्यक्ति जो 2 सितंबर, 1989 को सरकार के नीतिगत निर्णयों के अनुसार एमएनपी के रूप में कार्यरत थे, उनकी सेवाएं समाप्त/बंद कर दी गईं।

एच.

ए.

5. 24 फरवरी, 1997 के ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग (जिसे इसके बाद "विभाग" के रूप में संदर्भित किया गया है) के जी. ओ. द्वारा, सरकार द्वारा वर्ष के बजट में इस योजना को बहाल किया गया था, जिसमें ग्रामीण संपत्ति और पुस्तकालयों के रखरखाव और गांवों में वयस्क साक्षरता कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो एम. एन. पी. (एक पुरुष और एक महिला) के लिए प्रति माह 'आई. डी. 1' के मानदेय पर 2 सितंबर, 1989 के परिपत्र के अनुसार पहले पेश किए गए नियमों और शर्तों पर 25,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए योजना को बहाल किया गया था।

बी.

6. सरकार का नीतिगत निर्णय जो पहले सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 2 सितंबर, 1989 के आदेश द्वारा पेश किया गया था और बाद में सरकार द्वारा 24 फरवरी, 1997 के आदेश

द्वारा बहाल किया गया था, उसे 1 जून, 2001 के आदेश द्वारा तत्काल प्रभाव से फिर से भंग कर दिया गया था।सरकार ने फिर से एम. एन. पी. की सेवाओं को पुनर्जीवित किया और 12 जून, 2006 के आदेश द्वारा यात्रा भत्ते के रूप में प्रति माह Rs.50 को जोड़ने के साथ मानदेय को Rs.50 0/- प्रति माह से बढ़ाकर Rs.750 प्रति माह कर दिया, इस स्पष्ट समझ के साथ कि जो व्यक्ति एम. एन. पी. के रूप में फिर से जुड़े हैं, वे 1 जून, 2001 से 31 मई, 2006 तक किसी भी भुगतान के हकदार नहीं होंगे क्योंकि वे सेवा में नहीं थे।

सी.

डी.

7. इस समय, 12 जून, 2006 के आदेश को आगे बढ़ाते हुए, विभाग ने 5 दिसंबर, 2006 के अपने आदेश के माध्यम से ग्राम पंचायत में काम करने वाले पंचायत सहायकों और अंशकालिक क्लर्कों के रूप में नियुक्त लोगों को नियुक्त करने के लिए एक योजना बनाई और उन्हें 1 सितंबर, 2006 से वेतनमान में बदल दिया जाएगा।विभाग ने 27 नवंबर, 2008 को एक जी. ओ. जारी किया जिसमें कहा गया है कि सरकार रिकॉर्ड क्लर्क/कार्यालय सहायक/नाइट वॉचमैन के संवर्ग में उत्पन्न होने वाले 50 प्रतिशत रिक्त पदों और एम. एन. पी. से समकक्ष पद को भरने पर विचार करेगी। जिला कलेक्टरों को उपलब्ध अनुमानित रिक्तियों को तैयार करने का निर्देश दिया गया ताकि एमएनपी को यथासंभव समायोजित किया जा सके।

ई.

एफ.

8. यह रिकॉर्ड में आया है कि मध्यावधि अवधि में, तमिलनाडु राज्य में विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगभग 600 एमएनपी को कार्यालय सहायक/रात्रि चौकीदार के रूप में शामिल किया गया था। 21 मई, 2010 के एक आदेश द्वारा विभाग ने एम. एन. पी. को 1 जून, 2010 से 31 मई, 2012 तक दो साल के लिए जारी रखने का निर्देश दिया।

जी.

9. इससे पहले कि उनका कार्यकाल समाप्त हो पाता, सरकार ने तत्काल प्रभाव से एमएनपी को भंग करने के लिए 8 नवंबर, 2011 को फिर से आदेश जारी किया।

एच.

इस आधार पर कि ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत इकाइयों में अधिशेष कर्मचारी हैं जो वर्तमान में एमएनपी द्वारा देखे जा रहे कार्यों की देखभाल करते हैं और इसलिए, एमएनपी के पद को भंग करने का निर्णय लिया गया जिससे लगभग Rs.73 करोड़ की बचत होगी।

10. सरकार द्वारा दिनांक 8 नवंबर, 2011 को पारित आदेश, जिसके अनुसार योजना को भंग कर दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप, जो एमएनपी काम कर रहे थे, उन्हें एमएनपी द्वारा उनके संघों के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी।

बी.

11. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 23 जनवरी, 2012 के एक सामान्य आदेश द्वारा रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और 8 नवंबर, 2011 के आदेश को रद्द करते हुए तमिलनाडु राज्य को उन संघों के सदस्यों को बहाल करने का निर्देश दिया जिन्होंने एमएनपी के रूप में कार्य विद्वान है। विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश को अपीलार्थियों द्वारा रिट अपील में चुनौती दी गई, जिसे 19 अगस्त, 2014 के निर्णय द्वारा आक्षेपित आदेश के तहत निम्नलिखित निर्देशों के साथ खारिज कर दिया गयाः-

सी.

डी.

(i) राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है कि वह एम. एन. पी. को समायोजित करने के लिए तमिलनाडु शराब खुदरा बिक्री (दुकानों और बारों में) नियम, 2003 के नियम 10 (5) सहपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत शराब के सेवन की बुराइयों का प्रचार करने के लिए एम. एन. पी. के नाम पर या किसी अन्य नाम पर पदों के सृजन पर विचार करे।

ई.

(ii) यदि किसी भी कारण से ऐसा संभव नहीं है, तो राज्य सरकार उन व्यक्तियों को समायोजित करेगी जो सरकारी स्कूलों, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, नगर पालिकाओं, निगमों, ग्राम कार्यालयों, तालुक कार्यालयों और कलेक्टर कार्यालयों में और पूरे तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु सरकार के विभिन्न अन्य सरकारी कार्यालयों और उपक्रमों में या 2014-2015 बजट में शुरू की गई नई योजनाओं को लागू करने के लिए बनाए गए किसी भी पद में या प्रत्येक उम्मीदवार के पास अपनी मूल तालुक या राजस्व जिले में उम्र के संदर्भ के बिना योग्यता के अनुसार एमएनपी को समायोजित करेगी।

एफ.

जी.

एच.

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

ए.

(iii) उक्त अभ्यास तुरंत शुरू किया जाएगा और 31.10.2014 पर या उससे पहले पूरा किया जाएगा।

(iv) यदि एम. एन. पी. में से कोई भी व्यक्ति, जिसे ऊपर बताए गए अनुसार उक्त अवधि के भीतर समायोजित नहीं किया जा सकता है, हालांकि वे समायोजित होने के योग्य हैं, तो राज्य सरकार अंतिम रूप से प्राप्त वेतन का भुगतान करेगी, जो उन्हें अंत में प्राप्त हुआ है, जब तक कि उन्हें किसी भी खाली या नए बनाए गए पद में समायोजित नहीं किया जाता है।

बी.

12. साथ ही, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दर्ज विद्वान गया निष्कर्ष कि पैरा 33 में निर्देशित 8 नवंबर, 2011 के आदेश को पारित करने में राज्य सरकार की कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण थी, को अनुचित माना गया और यह इस न्यायालय के समक्ष अपीलों में चुनौती का विषय बन गया।

सी.

13. सुनवाई की पहली तारीख जब मामला सूचीबद्ध किया गया था, 23 सितंबर, 2014 को नोटिस जारी करते हुए, 19 अगस्त, 2014 के फैसले और आदेश के संचालन पर इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई थी।14. इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया है कि राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 7 जून, 2022 की योजना शुरू की है, ताकि एक पंचायत के लिए एक व्यक्ति को कुछ शर्तों को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जा सके या ऐसे बेरोजगार युवा जो सरकार द्वारा 8 नवंबर, 2011 को पारित आदेश के अनुसार एमएनपी के रूप में बंद हो गए थे।

डी.

ई.

15. इस न्यायालय को सूचित किया जाता है कि 8 नवंबर, 2011 के आदेश के अनुसार जिन व्यक्तियों को बंद कर दिया गया था और जो अन्यथा पात्रता की शर्तों को पूरा करते हैं, उनमें से अधिकांश 7 जून, 2022 को सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत शामिल हुए हैं।कुल 13,500 एमएनपी में से अधिकांश इसमें शामिल हो गए हैं और 489 एमएनपी ने इस न्यायालय द्वारा अवसर दिए जाने के बावजूद नई नीति का विकल्प नहीं चुना है।

एफ.

जी.

16. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पदों का सृजन और उन्मूलन सरकार के हाथ में है और यह सरकारी नीति का विषय है, जिसका उपयोग हमेशा आंतरिक प्रशासन के हित और आवश्यकता में किया जा सकता है और न्यायालय यह तय करने के लिए कम से कम सक्षम होगी कि क्या सरकार ने पद बनाने में ईमानदारी से काम किया या पद बनाने से इनकार किया या अपना निर्णय लिया।

एच.

द्वेष (कानूनी या तथ्यात्मक) से पीड़ित है और जब तक पद को समाप्त करने का निर्णय सद्भावना से लिया जाता है, तब तक न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

17. पद का उन्मूलन उस व्यक्ति के खिलाफ व्यक्तिगत दंड नहीं है जिसने सेवा की है और यह एक कार्यकारी निर्णय है और राज्य के खिलाफ उसके सरकारी, सार्वजनिक या संप्रभु कार्य में निषेध का सिद्धांत लागू नहीं होगा और एकमात्र अपवाद यह है कि जहां धोखाधड़ी या प्रकट अन्याय को रोकने के लिए आवश्यक है।

बी.

18. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि ये राज्य सरकार की स्थापना के तहत कैडर पद के खिलाफ की गई नियुक्तियां नहीं हैं, जिनकी सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए सेवा नियमों द्वारा शासित होती हैं।वर्तमान नियुक्तियाँ केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को ग्रामीण स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में एमएनपी के रूप में काम करने के लिए रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से की जाती हैं, जिसे समय-समय पर संशोधित किया जाता है।

सी.

डी.

19. यद्यपि नियुक्तियाँ गठित समिति के माध्यम से स्थानीय क्षेत्र में आयोजित एक प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं ताकि बड़ी संख्या में उम्मीदवार जो नियुक्ति पाने के इच्छुक हों, वहाँ कुछ तंत्र होना चाहिए जिसके द्वारा उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश करने के लिए चुना जा सके। ऐसी नियुक्तियों का राज्य सरकार द्वारा अपने नियमित प्रतिष्ठानों के तहत विभिन्न राज्य/अधीनस्थ सेवाओं के लिए निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की गई नियुक्तियों से कोई संबंध नहीं है।इस प्रकार, व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार प्रदान/निहित नहीं किया जा सकता था

और इसके अलावा, सरकार ने ग्रामीण शिक्षित जनता के लिए रोजगार योजना शुरू करके, पहले की गई नियुक्तियों को पूरा करने के लिए पूरी योजना की समीक्षा की है और चूंकि उन्हें 8 नवंबर, 2011 के आदेश द्वारा बंद कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान सरकार ने स्वेच्छा से 7 जून, 2022 की योजना शुरू की है ताकि ऐसे बेरोजगार युवाओं पर विचार किया जा सके जो उस समय तक लगभग एक दशक से ग्राम पंचायत में एमएनपी के रूप में काम करना बंद कर चुके थे, उन्हें प्राथमिकता दी जा सके और केंद्र सरकार की योजना के तहत काम किया जा सके, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (इसके बाद "अधिनियम 2005" के रूप में संदर्भित किया जा रहा है) के तहत तैयार किया गया था। 7500/- प्रति माह और राज्य भी स्वेच्छा से आगे आया कि क्योंकि उनकी नियुक्ति पहले बंद कर दी गई थी, इस प्रकार 6 महीने की अवधि के लिए, यानी 1 दिसंबर, 2011 से 31 मई, 2012 तक, प्रत्येक कर्मचारी ए

ई.

एफ.

जी.

एच.

399

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.]

जो बंद हो गया है और वर्तमान योजना के तहत फिर से जुड़ाव की मांग करने में रुचि नहीं रखता है, वह हमेशा संबंधित अवधि के लिए अपने 6 महीने के वेतन को स्वीकार कर सकता है।

20. विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उनमें से अधिकांश को इस समय तक अपना वेतन मिल गया है, लेकिन आज चुनाव लड़ने वाले कई व्यक्तियों ने या तो भुनाया नहीं है या सरकार को पैसे वापस कर दिए हैं और प्रस्तुत करते हैं कि जो लोग छूट गए हैं और 7 जून, 2022 को सरकार द्वारा शुरू की गई वर्तमान योजना के तहत अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, हालांकि शुरू की गई समय सीमा के अनुसार, कोई नया जुड़ाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहले इस न्यायालय ने उन व्यक्तियों को योजना में शामिल होने और सदस्य बनने की अनुमति दी थी जो अलग हो गए थे, फिर भी सरकार ने इसे खुला रखा है और जो व्यक्ति शामिल होना चाहते हैं, वे हमेशा 7 जून, 2022 को शुरू की गई योजना के संदर्भ में फिर से शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं और जो इच्छुक नहीं हैं, वे हमेशा अपने 6 महीने स्वीकार कर सकते हैं।

बी.

सी.

डी.

21. प्रस्तुतियों के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने गुजरात राज्य और अन्य बनाम आर. जे. पठान और अन्य 1 में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर भरोसा रखा है, जिसमें पहले के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने व्यक्त किया है कि जो नियुक्तियां एक निश्चित अवधि के लिए और एक निश्चित वेतन पर एक अस्थायी इकाई में की जाती हैं, जो एक विशेष परियोजना के लिए बनाई गई थी, वे नियमितीकरण की मांग करने के हकदार नहीं हैं और यदि ऐसा निर्देश उच्च न्यायालय द्वारा उन कर्मचारियों के अवशोषण/नियमितीकरण के लिए जारी किया जाता है, जिन्हें एक अस्थायी इकाई में नियुक्त किया गया था, जो एक विशेष परियोजना के लिए बनाई गई थी, कानून के अनुरूप नहीं माना जाता है और तथ्यों और परिस्थितियों में नियमितीकरण के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित ऐसे आदेशों को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।22. इसके विपरीत, प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता, विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा वापस किए गए निष्कर्ष का समर्थन करते हुए प्रस्तुत करते हैं कि उनकी नियुक्ति का भाग्य हमेशा सत्ता में निर्वाचित सरकार पर निर्भर रहा है।एक सरकार रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना लेकर आई और उसके बाद की सरकार ने अपने पूर्ववर्तियों द्वारा शुरू की गई नीति को भंग कर दिया जो केवल राजनीतिक कारणों से प्रतीत होती है।

ई.

एफ.

जी.

1 2022(5) एससीसी 394 ए

एच.

23. रिकॉर्ड पर आई सुसंगत नीति अपने आप में यह दिखाने के लिए एक संकेतक है कि जब भी योजना को छोड़ने या समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, यह केवल राजनीतिक कारणों से था और रिकॉर्ड पर किसी भी ठोस या वैध कारण पर आधारित नहीं था।दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, 8 नवंबर, 2011 के आदेश को दरकिनार करने का उच्च न्यायालय का निर्णय वैध और उचित था और सरकार की ऐसी आक्षेपित कार्रवाई वास्तव में भारत के संविधान के अनुच्छेद 14,16 और 21 का उल्लंघन थी और विवादित फैसले के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उचित रूप से हस्तक्षेप किया गया था।

बी.

24. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि इस न्यायालय के सुसंगत निर्णय हैं जहाँ कर्मचारियों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना पर्याप्त लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति दी गई है।यह न्यायालय हमेशा ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने के लिए आगे आता है जिन्होंने पर्याप्त लंबे समय तक निर्बाध रूप से काम किया था और इसका पता सचिव, राज्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले से लगाया जा सकता है।

सी.

कर्नाटक और अन्य बनाम उमादेवी **(3)** और अन्य **2** जो

इसके बाद इस न्यायालय ने निहाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य **3** में मुकदमा दायर किया और इस न्यायालय ने मालथी दास मामले में इसे दोहराया।

डी.

(सेवानिवृत्त) अब पी. बी. महिशी और अन्य बनाम। सुरेश और अन्य 4.

इस न्यायालय के निर्णयों से सहायता लेते हुए, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उच्च न्यायालय ने दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, 8 नवंबर, 2011 के आदेश को सही ढंग से अपास्त करना दिया है और इसके परिणामस्वरूप, ऐसे कर्मचारी जो 8 नवंबर, 2011 के आदेश द्वारा सरकार द्वारा नीति को भंग/रद्द करने के कारण बंद कर दिए गए थे, या तो एमएनपी के पद पर या उपलब्धता के अधीन किसी अन्य पद पर नियमित होने के योग्य हैं।उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि ऐसे कई पद हैं जहां प्रत्यर्थी कर्मचारी पात्र हैं और उन्हें आसानी से अवशोषित किया जा सकता है और इस प्रकार, उनकी सेवाओं की रक्षा के लिए जो उन्होंने पर्याप्त लंबे समय से प्रदान की हैं, उन्हें नियमित करने के लिए उचित रूप से विचार किया गया है।जिस निष्कर्ष को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रथम स्थान पर दर्ज विद्वान गया था और उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा कानूनी सिद्धांतों पर पुष्टि की गई थी, कम से कम इस स्तर पर, किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।25. विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि जून, 2009 और नवंबर, 2011 के बीच की अवधि के दौरान जब तक आदेश विवादित नहीं हो जाता

ई.

एफ.

जी.

2 2006(4) एससीसी 1 3 2013 (14) एससीसी 65 4 2014 (13) एससीसी 249 ए

एच.

401

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

पारित होने के बाद, सरकार ने पहले एक योजना बनाई थी कि एमएनपी के रूप में सेवारत ऐसे कर्मचारियों को नियमित रिक्तियों के 50 प्रतिशत के बदले रिकॉर्ड क्लर्क/कार्यालय सहायक/रात्रि चौकीदार के नियमित पद या किसी अन्य समान संवर्ग के पद में समाहित किया जा सकता है और 1 जून, 2009 के एक आदेश द्वारा लगभग 600 एमएनपी को विभिन्न पदों पर समाहित किया गया था और चूंकि इसे 8 नवंबर, 2011 के आदेश द्वारा क्रमिक सरकार द्वारा बंद/भंग कर दिया गया है, इसलिए जो उत्तरदाता कतार में थे और उनके अवशोषण की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें उनके उचित विचार के वैध अधिकार से वंचित कर दिया गया था और 8 नवंबर, 2011 के आदेश को पारित करते समय सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया था और केवल इसलिए कि गार्डों का परिवर्तन हुआ था, यह अपने आप में योजना को छोड़ने का आधार नहीं होगा।

बी.

सी.

26. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने ऐसे कर्मचारियों के अधिकारों, हितों और सेवा शर्तों की रक्षा के लिए एक सचेत निर्णय लिया, जिन्होंने पर्याप्त लंबे समय तक सेवा की है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक समूहों की नीति के कारण बंद कर दिया है।लेकिन तथ्य यह है कि कर्मचारी इसके शिकार बने और यही कारण प्रतीत होता है कि 8 नवंबर, 2011 का विवादित आदेश पारित किया गया और जब वे लगभग एक दशक से अधिक समय से अपने अधिकारों का विरोध कर रहे हैं, तो कम से कम न्याय के हित में यह न्यायालय मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है।

डी.

ई.

27. वैकल्पिक रूप से, विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यदि यह न्यायालय उनके निवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो कम से कम वे कर्मचारी जो अब तक रोजगार नहीं ले पाए हैं, उन्हें 1 दिसंबर, 2011 और 31 मई, 2012 के बीच की अवधि के लिए अपने 6 महीने के मानदेय को स्वीकार करने की अनुमति दी जा सकती है, जो प्रति एमएनपी 851/- की मूल राशि पर आता है, कम से कम, उचित ब्याज के साथ, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित माना जा सकता है।

एफ.

28. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।

29. यदि हम मूल रूप से सरकार द्वारा 2 सितंबर, 1989 के आदेश द्वारा शुरू की गई योजना पर गौर करें, तो इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान करना था, जिन्होंने ग्राम स्तर पर सरकार के कई कार्यक्रमों को लागू करने में 10 वीं कक्षा पूरी कर ली है, जिन्हें सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है।सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रमों की पहचान करने के बाद, उन्हें गाँव के बेरोजगार कार्यबल को सौंपा जा सकता है।

जी.

एच.

बेहतर कार्यान्वयन के लिए शिक्षित युवा।सरकार ने निर्णय लिया कि दो ग्राम स्तर के कार्यकर्ता होने चाहिए-एक पुरुष और एक महिला-जिन्हें प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाया जाएगा।उन्हें मक्कल नाला पनियालार्गल (एमएनपी) कहा जाएगा और पहली बार में उन्हें प्रति माह Rs.200 के मानदेय पर रखा जाएगा।

30. जहां तक नियुक्ति की बात है, एक तंत्र बनाया गया था कि ऐसे कर्मचारी जो 10 वीं कक्षा की शैक्षिक योग्यता के साथ 18 से 30 वर्ष की आयु वर्ग में हैं (और जो पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता में 8 वीं कक्षा तक की छूट दी जा सकती है), उनकी भर्ती स्थानीय क्षेत्र में एक विज्ञापन के माध्यम से होगी और नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक समिति द्वारा विचार किया जाएगा।2 सितंबर, 1989 के आदेश द्वारा पहली बार जिस तंत्र को स्थापित किया गया था, उसमें विभिन्न खराब मौसम की जांच की गई है।यह अभिलेख से पता चलता है कि जब भी राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आया, एक के बाद एक आने वाले राजनीतिक दलों ने हमेशा अपनी पिछली सरकार के उस नीतिगत निर्णय को भंग/रद्द कर दिया, जिसमें शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए एक योजना शुरू की गई थी।

बी.

सी.

डी.

31. अभिलेखों से यह बहुत अच्छी तरह से देखा जा सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 2 सितंबर, 1989 को शुरू की गई योजना को 13 जुलाई, 1991 के आदेश द्वारा क्रमिक सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था,

जिसके परिणामस्वरूप ऐसे बेरोजगार युवाओं द्वारा दी जाने वाली सेवा बंद कर दी गई थी।इसके तुरंत बाद, एक के बाद एक निर्वाचित सरकार ने 24 फरवरी, 1997 के आदेश द्वारा अपनी नीति को बहाल किया और ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए शिक्षित युवाओं को रोजगार प्रदान किया, चाहे वह ग्राम संपत्ति और पुस्तकालयों के रखरखाव में सहायता के लिए हो, गांवों में वयस्क साक्षरता कार्यक्रम का कार्यान्वयन, उनके सामाजिक कल्याण के लिए और शराब विरोधी अभियान के लिए भी काम करना हो।ग्राम पंचायत में शुरू की गई योजना में खुद को शामिल करने के लिए काम करने वाले ऐसे युवाओं को 1 जून, 2001 के आदेश द्वारा भंग कर दिया गया।बाद में, इसे 12 जून, 2006 के आदेश द्वारा फिर से पेश किया गया और बाद के चरणों में उनका मानदेय बढ़ा दिया गया और 21 मई, 2010 के आदेश द्वारा उनकी सेवाओं को 1 जून, 2010 से 31 मई, 2012 तक बढ़ा दिया गया।लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यावधि में व्यवस्था में बदलाव हुआ था और उसके तुरंत बाद, नीति को 8 नवंबर, 2011 के आदेश द्वारा भंग कर दिया गया था, जो ए की विषय वस्तु थी।

ई.

एफ.

जी.

एच.

403

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

प्रतिवादियों की ओर से संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती।

32. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ग्रामीण विकास के लिए, योजना का प्रमुख ध्यान ग्रामीण क्षेत्र के अल्प-नियोजित और अधिशेष श्रम बल का उत्पादक अवशोषण था।ग्रामीण गरीबों को प्रत्यक्ष पूरक मजदूरी-रोजगार प्रदान करने के लिए, केंद्र सरकार ने एक कानून बनाया, जिसका नाम अधिनियम 2005 है, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैंः-

बी.

(i) इस कानून का उद्देश्य देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को कम से कम एक सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

सी.

((ii) राज्य सरकार, राज्य के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली अवधि के लिए, प्रत्येक गरीब परिवार को गैर-कुशल शारीरिक कार्य में गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करेगी, जो कानून में बनाए गए प्रावधानों के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों की अवधि के लिए होगा।

डी.

((ग) प्रत्येक राज्य सरकार, इस विधान के प्रारंभ होने की तारीख से छह महीने के भीतर, विधान के तहत प्रस्तावित गारंटी को प्रभावी बनाने के लिए एक योजना तैयार करेगी।

ई.

((iv) इस कानून के तहत एक सौ दिनों का रोजगार इस कानून के उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट मजदूरी दर पर प्रदान किया जाएगा।जब तक केंद्र सरकार द्वारा किसी क्षेत्र के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट नहीं की जाती है, तब तक कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर को उस क्षेत्र में लागू मजदूरी दर माना जाएगा।

एफ.

(v) यदि किसी पात्र आवेदक को निर्धारित समय सीमा के भीतर इस कानून के प्रावधानों के अनुसार काम प्रदान नहीं किया जाता है, तो राज्य सरकार की ओर से निर्धारित दर पर बेरोजगारी भत्ता देना अनिवार्य होगा।

जी.

(vi) केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य में राज्य रोजगार गारंटी परिषद

एच.

उन सभी राज्यों में जहां कानून लागू किया गया है, उनके संबंधित क्षेत्रों में कानून की समीक्षा, निगरानी और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए स्तर का गठन किया जाएगा।(vii) जिला पंचायत की स्थायी समिति, जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारियों और ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तरों पर कानून के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन में विशिष्ट जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

बी.

(viii) केंद्र सरकार इस विधान के प्रयोजनों के लिए 'राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष' नामक एक कोष की स्थापना करेगी।इसी तरह, राज्य सरकारें राज्य रोजगार गारंटी कोष का गठन कर सकती हैं।

सी.

(ix) पारदर्शिता और जवाबदेही, लेखा परीक्षा, शिकायत और निवारण तंत्र की स्थापना और गैर-अनुपालन के दंड के प्रावधानों की भी परिकल्पना की गई है।

डी.

(x) ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की न्यूनतम विशेषताओं के लिए प्रावधान और एक योजना के तहत ग्रामीण रोजगार की गारंटी और मजदूरों के न्यूनतम हक के लिए शर्तें रखी गई हैं।

33. अंत में, यह अधिनियम देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की आजीविका और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पेश किया गया था, जिसमें प्रत्येक गरीब परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया गया था, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं और अधिनियम 2005 के तहत उससे जुड़े या आकस्मिक मामलों के लिए।तमिलनाडु राज्य को भी अधिनियम, 2005 में संलग्न अनुसूची में शामिल किया गया है। 34.ऐसा आवेदक जो घर का मुखिया है या उसके अन्य वयस्क सदस्य जिन्होंने योजना के तहत रोजगार के लिए आवेदन किया है, उन्हें अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एन) के तहत परिभाषित किसी परियोजना के तहत किए गए काम के लिए आवेदकों को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से परियोजनाओं में शामिल होने के लिए आवेदक कहा जाएगा।'योजना' शब्द को धारा 2 (पी) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है धारा 4 की उप-धारा (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक योजना।

ई.

एफ.

जी.

35. अध्याय II ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी प्रदान करता है।धारा 3 परिवारों को ग्रामीण रोजगार की गारंटी को संदर्भित करती है, राज्य सरकार को हर उस परिवार को प्रदान करना है जिसके वयस्क ए

एच.

सदस्य एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसने योजना के तहत उसे दिया गया काम किया था, वह साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में काम के प्रत्येक दिन के लिए मजदूरी दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार होगा।

बी.

36. अध्याय III में रोजगार गारंटी योजनाओं और बेरोजगारी भत्ते पर ध्यान दिया गया है।

37. धारा 4 में प्रावधान है कि धारा 3 के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के उद्देश्यों के लिए, प्रत्येक राज्य को योजना के तहत आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों की गारंटी वाले रोजगार प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी करनी होगी और जिनके वयस्क सदस्य, आवेदन द्वारा, अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।

सी.

38. अधिनियम, 2005 की धारा 5 के तहत रोजगार प्रदान करने के लिए किन शर्तों का उल्लेख किया गया है।मजदूरी की दर केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर धारा 6 के अनुसार तय की जानी है।यदि योजना के तहत रोजगार के लिए किसी आवेदक को रोजगार की मांग करने वाले आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर ऐसा रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है, तो वह धारा 7 के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा।

डी.

ई.

39. अध्याय IV केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद द्वारा केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा अधिनियम, 2005 की धारा 10 और 12 के तहत निर्दिष्ट प्राधिकरणों को लागू करने और उनकी निगरानी करने के लिए अधिसूचित करता है।

40. अधिनियम, 2005 के लागू होने के बाद, ऐसे राज्य जिन्हें अधिनियम, 2005 की धारा 1 (3) के तहत निर्दिष्ट अनुसूची में अधिसूचित किया गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य भी शामिल है, उन्हें मुख्य रूप से अधिनियम, 2005 के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया गया था।

एफ.

41. यह विवादित नहीं है कि तमिलनाडु राज्य द्वारा अधिनियम, 2005 के तहत शुरू की गई योजना अभी भी लागू है।

जी.

42. 2 सितंबर, 1989 के आदेश द्वारा ग्राम पंचायत में काम करने के लिए शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना शुरू करने के बाद, सरकार द्वारा अतीत में अपनाई गई प्रथा, जिसका 1989 से विस्तृत संदर्भ दिया गया है, में विभिन्न चरणों और रूपों में बदलाव आया है।

एच.

406

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 3 एस सी आर।

43. हम राज्य तंत्र के उपयोग से अपने राजनीतिक विरोधियों के विवेक को खत्म करने के लिए सशक्त राजनीतिक दलों को अनुमति देकर अपने देश में लोकतंत्र को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं।

44. जहां तक इस योजना के पीछे के उद्देश्य का संबंध है, यह बहुत प्रशंसनीय प्रतीत होता है और कम से कम गरीब बेरोजगार शिक्षित युवाओं के हित में उन्हें राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के तहत समय-समय पर सरकार द्वारा प्रमाणित मजदूरी पर काम करने के लिए रोजगार प्रदान करना, कम से कम एक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक सौ दिनों की गारंटी के लिए जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए स्वेच्छा से काम करते हैं।इसके साथ ही, जबकि सरकार का नीतिगत निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान पर न्यायिक समीक्षा के लिए हमेशा खुला रहता है और सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं विद्वान जाता है जब तक कि यह सरकार के कानूनी या तथ्यात्मक द्वेष से जुड़ा न हो, हालांकि, तत्काल मामले में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उस निष्कर्ष को अपास्त करना दिया है जहां तक उस द्वेष का संबंध है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 8 नवंबर, 2011 को पारित आदेश में आरोपित विद्वान गया था। अभिलेखों को देखने के बाद, हमारा विचार है कि 8 नवंबर, 2011 का आदेश सरकार के नीतिगत निर्णय के रूप में पारित किया गया होगा, लेकिन कम से कम अभिलेख पर आए तथ्यों की श्रृंखला को इस न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

सी.

डी.

45. हमारे विचार के लिए जो सवाल उभरता है वह यह है कि क्या 8 नवंबर, 2011 का आदेश कानून की नजर में असमर्थनीय है, ऐसे कर्मचारी जिन्हें बंद कर दिया गया था, वे सेवा की बहाली और नियमितीकरण के लिए पात्र हैं?

ई.

46. विद्वान एकल न्यायाधीश और खंड पीठ ने अपने विवादित फैसलों में इस निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की है कि ऐसे कर्मचारी जिन्हें 8 नवंबर, 2011 के आदेश को पारित करके बंद कर दिया गया था, वे न केवल बहाली के हकदार हैं, बल्कि पद के निर्माण के बाद सेवा में नियमित होने के भी हकदार हैं।हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा जो अवलोकन किया जा रहा है वह कानूनी रूप से स्थायी नहीं है।

एफ.

जी.

47. इस प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अदालतें पदों के सृजन के लिए निर्देश नहीं दे सकती हैं।संभागीय प्रबंधक के मामले में

अरावली गोल्फ क्लब और एक अन्य बनाम चंदर हास और एक अन्य **5,** यह

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:-

5 2008(1) एससीसी 683 ए

एच.

407

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.]

“15. न्यायालय पदों के सृजन का निर्देश नहीं दे सकता है।पदों का सृजन और मंजूरी कार्यकारी या विधायी प्राधिकरणों का विशेषाधिकार है और न्यायालय इस विशुद्ध रूप से कार्यकारी या विधायी कार्य और किसी भी संगठन में पदों के प्रत्यक्ष निर्माण को अपने लिए अभिमानी नहीं बना सकता है।इस न्यायालय ने बार-बार कहा है कि एक पद का निर्माण एक कार्यकारी या विधायी कार्य है और इसमें आर्थिक कारक शामिल हैं।इसलिए अदालतें किसी पद के निर्माण की शक्ति अपने ऊपर नहीं ले सकती हैं।इसलिए, उच्च न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा ट्रैक्टर चालक के पदों का सृजन करने और उक्त पदों के खिलाफ प्रत्यर्थियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए दिए गए निर्देशों को कायम नहीं रखा जा सकता है और इन्हें इसके द्वारा अपास्त करना दिया जाता है।”

बी.

सी.

48. बाद में, महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम और एक अन्य बनाम कैस्टरिबे राज्य परिवहन कर्मचारी

संगठन 6, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः- "41. इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पदों का सृजन न्यायिक कार्यों के दायरे में नहीं है जो स्पष्ट रूप से कार्यपालिका से संबंधित है।यह भी सच है कि स्थायी होने का दर्जा न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है जहां ऐसे कोई पद मौजूद नहीं हैं और पदों के निर्माण के संबंध में कार्यकारी कार्यों और शक्तियों को न्यायालयों द्वारा अभिमानी नहीं किया जा सकता है।"

डी.

ई.

49. प्रत्यर्थी सरकार के रोजगार में या सिविल पद पर नहीं थे और किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान में कैडर पद के खिलाफ नियुक्त नहीं थे, जहां सेवा की शर्तें संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा शासित/विनियमित होती हैं।

एफ.

50. वास्तव में, उत्तरदाता एक योजना में लगे हुए थे और उन्हें मानदेय दिया गया था और हम इस बात का औचित्य पाते हैं कि जब तक यह योजना अधिनियम, 2005 के अधिदेश के तहत तमिलनाडु राज्य में जारी है, कम से कम ऐसे व्यक्तियों को बंद करने का कोई कारण नहीं दिखता है जो अधिनियम, 2005 के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई संबंधित योजनाओं के तहत काम कर रहे हैं, जब तक कि बाद में उन्हें सेवा में बनाए रखने के लिए अनुपयुक्त नहीं पाया जाता है या सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त नहीं हो जाती है।

जी.

6 2009(8) एससीसी 556 ए

एच.

51. लेकिन जैसा कि पहले ही देखा गया है, ऐसे कर्मचारी बहाली और सेवा के नियमितीकरण के लिए इस कारण से हकदार नहीं हैं कि यदि 8 नवंबर, 2011 को पारित आदेश टिकाऊ नहीं है, तो उत्तरदाताओं और अन्य समान रूप से स्थित व्यक्तियों को उसी शर्तों पर बहाल किया जा सकता है जो उन्हें 8 नवंबर, 2011 के आदेश को पारित करने से पहले रखी गई थीं।दूसरे शब्दों में, चूंकि उनकी नियुक्ति दिनांक 21 मई, 2010 के आदेश द्वारा 1 जून, 2010 से 31 मई, 2012 तक दो साल के लिए बढ़ा दी गई थी, ऐसे व्यक्तियों को 31 मई, 2012 तक जारी रखने की अनुमति दी जा सकती थी।आगे कोई विस्तार दिए जाने के अभाव में, कम से कम

योजना के तहत आगे जारी रखने की मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार निहित नहीं था।

बी.

सी.

52. जहाँ तक उनकी बहाली और नियमितीकरण के लिए राज्य सरकार को दिए गए विवादित निर्देश का संबंध है, हमारे विचार में, यह पूरी तरह से गलत है और कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

53. इस न्यायालय के निर्णय पर सचिव**,** राज्य में भरोसा किया गया

कर्नाटक और अन्य बनाम उमादेवी **(3)** और अन्य **(**ऊपर**)**

डी.

ऐसे कर्मचारियों के संदर्भ में जिन्हें सरकार की स्थापना में अवैध रूप से/अनियमित रूप से नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा की शर्तें बनाए गए वैधानिक नियमों के तहत शासित होती हैं, लेकिन वे अपने-अपने नियमों के तहत प्रदान की गई चयन प्रक्रिया से नहीं गुजरे हैं और उन्हें लगभग एक दशक से अधिक समय तक तदर्थ आधार पर जारी रखने की अनुमति दी गई थी। इस न्यायालय ने इस तरह की प्रथा की निंदा की लेकिन एक बार के उपाय के रूप में सरकार को ऐसे कर्मचारियों को नियमित करने की अनुमति दी जो स्वीकृत पद के खिलाफ काम कर रहे हैं और अदालत के हस्तक्षेप के बिना सरकार द्वारा अनुमति दी गई है जैसा कि फैसले के पैरा 53 के तहत संदर्भित है।उसी को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः-

ई.

एफ.

"53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।ऐसे मामले हो सकते हैं जहां एस. वी. नारायणप्पा [(1967) 1 एस. सी. आर. 128], आर. एन. नंजुंडप्पा [(1972) 1 एस. सी. सी. 409] और बी. एन. नागराजन [(1979) 4 एस. सी. सी. 507] में वर्णित अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) और उपरोक्त पैरा 15 में निर्दिष्ट, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों में विधिवत योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हों और कर्मचारियों ने अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा हो।ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के प्रश्न पर इस निर्णय के आलोक में उपरोक्त मामलों में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है।

जी.

एच.

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

ए.

उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके उपकरणों को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों में दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों की आड़ में नहीं और आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन खाली स्वीकृत पदों को भरने के लिए नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारियों या दैनिक वेतनभोगियों को अब नियुक्त किया जा रहा है।इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमितीकरण, यदि पहले से ही किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो इस निर्णय के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार करने और संवैधानिक योजना के अनुसार विधिवत नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी बनाने की आवश्यकता नहीं है।"

बी.

सी.

54. साथ ही, इस न्यायालय ने आगे कहा कि स्वीकृत पद के अभाव में, राज्य को पद बनाने और राज्य की सेवा में बने रहने वाले व्यक्तियों को शामिल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

डी.

55. निहाल सिंह और अन्य (उपरोक्त) मामले में, जिस पर भारी निर्भरता रखी गई है, यह एक ऐसा मामला था जिसमें पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 17 के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियां की गई थीं।चूँकि उनकी नियुक्तियाँ अधिनियम, 1861 के तहत थीं और उन्हें पर्याप्त लंबे समय तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी, जिसे अवैध या अनियमित नियुक्ति नहीं माना गया था, इसलिए इस न्यायालय ने यह अवलोकन करना उचित समझा कि चूंकि उन्हें इतनी लंबी अवधि के लिए जारी रखने की अनुमति है, इसलिए वे सेवा के नियमितीकरण के योग्य हैं। तत्काल मामले में, प्रतिवादियों को कभी भी सरकार की स्थापना में एक नियमित स्वीकृत पद के खिलाफ नियुक्त नहीं किया गया था, जिसके अभाव में, निर्णय कोई सहायता नहीं हो सकता है।

ई.

एफ.

56. मालथी दास (सेवानिवृत्त) नाउ पी. बी. में बाद का फैसला।

महिषी (ऊपर) जिस पर भरोसा किया गया है, यह एक ऐसा मामला था जहां कर्मचारी दैनिक मजदूरी के आधार पर विभिन्न विभागों में काम कर रहे थे जो वास्तव में सरकारी प्रतिष्ठान हैं।एक स्तर पर, कर्मचारियों ने सेवा के नियमितीकरण का दावा करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कर्नाटक उच्च न्यायालय उनके बचाव में आया और राज्य सरकार को ऐसे कर्मचारियों की सेवा को नियमित करने का निर्देश दिया जो सरकारी विभागों में दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहे हैं और अंत में इस न्यायालय द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया गया। इसके बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिकाएं दायर की गईं और दो चरणों में,

जी.

एच.

संबंधित अधिकारियों द्वारा अवमानना याचिका दायर करने के पहले और दूसरे चरण में कर्मचारियों को नियमित किया गया था।लेकिन कुछ पदधारियों ने अवमानना याचिका दायर की जो कि तीसरा चरण प्रतीत होता है, इस अदालत द्वारा सचिव, राज्य में इस अदालत के फैसले के आधार पर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने पर उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि किए जाने के बावजूद उन्हें नियमित करने के लिए विचार नहीं किया गया था

बी.

कर्नाटक और अन्य बनाम उमादेवी **(3)** और अन्य **(**ऊपर**)**।यह

अदालत का विचार था कि एक बार उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि हो जाने के बाद और अवमानना याचिका दायर करने पर दो चरणों में कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, तो उच्च न्यायालय के फैसले के दायरे में आने वाले बाकी कर्मचारियों के दावे को हटाने और हटाने का कोई कारण नहीं दिखता है, यह कारण हो सकता है कि सचिव, राज्य में इस न्यायालय के फैसले को पारित करने के बाद इस विषय पर कानून में बदलाव हुआ था।

सी.

कर्नाटक और अन्य बनाम उमादेवी **(3)** और अन्य **(**ऊपर**)** और यह

तत्काल मामले में तथ्यात्मक मैट्रिक्स नहीं है।57. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का पद सृजित करने और उत्तरदाताओं को उनकी योग्यता के आधार पर शामिल करने का निर्देश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और पूरी तरह से अस्वीकृत होने योग्य है।

डी.

58. इस न्यायालय ने गुजरात राज्य और अन्य **(**ऊपर**)** में हाल के एक निर्णय में पैरा **10** और **11** में व्यक्त विचार पर निम्नलिखित रूप में विचार किया है:**-**

ई.

"10. डिवीजन बेंच ने इस तथ्य की भी सराहना नहीं की है और/या इस तथ्य पर विचार नहीं किया है कि उत्तरदाताओं को शुरू में ग्यारह महीने की अवधि के लिए और एक निश्चित वेतन पर और वह भी एक अस्थायी इकाई-"परियोजना कार्यान्वयन इकाई" में नियुक्त किया गया था, जिसे केवल "भूकंप के बाद के पुनर्विकास कार्यक्रम" के लिए भूकंप के अनुसार पुनर्वास के उद्देश्य से बनाया गया था।इसलिए, जिस इकाई में उत्तरदाताओं को नियुक्त किया गया था, वह स्वयं एक अस्थायी इकाई थी न कि एक नियमित प्रतिष्ठान।जिन पदों पर प्रत्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी और वे काम कर रहे थे, वे सरकार के किसी भी नियमित प्रतिष्ठान में स्वीकृत पद नहीं थे।

एफ.

जी.

11. इसलिए, जब प्रत्यर्थियों को एक निश्चित अवधि पर और एक निश्चित वेतन पर एक अस्थायी इकाई में नियुक्त किया गया था, जिसे किसी विशेष परियोजना के लिए बनाया गया था, तो उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा उन्हें ए में शामिल करने के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता था।

एच.

411

तमिल नाडु सरकार बनाम तमिल नाडु मक्कल नाला पनियालारगल [अजय रस्तोगी, जे.] ए.

सरकारी सेवा और उनकी सेवाओं को नियमित करना।उच्च न्यायालय ने कहा है कि उत्तरदाताओं की सेवाओं को अवशोषित और/या नियमित करते समय भी, राज्य सरकार अतिरिक्त पदों का सृजन कर सकती है।अतिरिक्त पदों को बनाने की ऐसी दिशा टिकाऊ नहीं है। इस तरह का निर्देश पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है।उच्च न्यायालय द्वारा उन कर्मचारियों के अवशोषण/नियमितीकरण के लिए ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है जिन्हें एक अस्थायी इकाई में नियुक्त किया गया था जो एक विशेष परियोजना के लिए बनाई गई थी और वह भी अतिरिक्त पदों का सृजन करके।"

बी.

59. यह औचित्य प्रस्तुत किया गया है कि ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 7 जून, 2022 की अपनी वर्तमान नीति के तहत फिर से नियुक्त नहीं किया गया है, वे 1 दिसंबर, 2011 से 31 मई, 2012 तक की अवधि के लिए अपने मानदेय के हकदार हैं, हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे कर्मचारी जो सरकार द्वारा 7 जून, 2022 को शुरू की गई योजना के अनुसार शामिल नहीं हुए हैं, वे हमेशा 6 महीने की अवधि के लिए अपना मानदेय स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन क्योंकि सरकार ने पहले ही उन्हें मानदेय की पेशकश की है, वे उक्त मूल राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं हैं।हमें सूचित किया जाता है कि उस समय निर्धारित एमएनपी के मानदेय के अनुसार कुल राशि Rs.25,851/- (1 दिसंबर, 2011 से 31 मई, 2012) आती है।यदि कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो राज्य सरकार कम से कम व्यक्ति के बैंक खाते में पैसे भेज सकती है।

सी.

डी.

ई.

60. हम यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो अधिनियम, 2005 के उद्देश्य की पूर्ति में सरकार द्वारा दिनांक 7 जून, 2022 को शुरू की गई योजना के अनुसार शामिल हुए हैं, वे योजना के साथ सह-समाप्त रहेंगे और जब तक योजना लागू है तब तक जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही, ऐसे व्यक्ति जो 7 जून, 2022 की योजना के अनुसार शामिल नहीं हुए हैं, वे 1 दिसंबर, 2011 से 31 मई, 2012 तक 6 महीने की मध्यवर्ती अवधि के लिए एमएनपी की मूल राशि Rs.25,851/- का भुगतान स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरह का आवेदन दायर किए जाने पर, अपीलार्थियों तीन महीने के भीतर उचित सत्यापन के बाद आरटीजीएस या किसी अन्य माध्यम से ऐसे एमएनपी को पैसा देंगे।

एफ.

जी.

61. हमारे सुविचारित विचार में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पूर्व में बताए गए कारणों से पारित निर्णय टिकाऊ नहीं है और इसे अपास्त करना जाना चाहिए।

एच.

62. नतीजतन, अपील सफल होती हैं और उन्हें अनुमति दी जाती है।19 अगस्त, 2014 के विवादित फैसले को पूर्व में बताए गए अवलोकन के साथ अपास्त करना दिया गया है।कोई लागत नहीं।

63. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः शेवाली मोंगा, एलसीआरए)

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.